रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1980/श्रावण 3, 1902
No. 146] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1980/SRAVANA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली 25 जुलाई, 1980

सं० 6-14016/3/80-जी० पी० ए० 4.—जेल प्रशासन में सुधार करने के प्रश्न पर भारत सरकार का ध्यान जाता रहा है। तदनुसार, भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने और आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित करने का संकल्प किया है :—

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. न्यायमूर्ति ए० एन० मुल्ला (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य	सदस्य
3. श्रीमती सरोज खरपड़े, संसद सदस्य	सदस्य
4. डा० (श्रीमती) एम० शारदा मैनन भूतपूर्व निदेशक, मनोरोग अस्पताल, मद्रास	सदस्य
5. श्री सी० एम० मलैया, महानिरीक्षक (जेल), कर्नाटक	सदस्य
6. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव	सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे :—

(i) जेल-प्रबन्ध और बंदियों के साथ व्यवहार को अधिशासित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करना और समाज को संरक्षण प्रदान करने तथा दोषी व्यक्तियों के पुनर्वास के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करना ;

(ii) बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में उनके रहन-सहन की दशा की जांच करना और मानव जीवन की गरिमा के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा ऐसे सुधारों के सुझाव देना जो जरूरी समझे जाएं ;

(iii) हिरासत और सुधार के उद्देश्य के संदर्भ में जेल कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास को अधिशासित करने वाली नीतियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करने के उपाय ढूंढना कि अपेक्षित बुद्धिकौशल, अभिरुचि और योग्यता वाले व्यक्ति ही जेल सेवा में आएं ;

(iv) जेल सुरक्षा और सांस्थानिक अनुशासन के मौजूदा स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से, जेलों के आंतरिक प्रबंध संबंधी कार्यविधि की जांच करना और उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देना ;

(v) सांस्थानिक व्यवहार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योग, कृषि और ऐसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और जेलों का सुधारात्मक केन्द्रों के रूप में विकास करने की दृष्टि से उपाय सुझाना ;

(vi) महिलाओं, किशोरों, बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के प्रति विशिष्ट व्यवहार के लिए उपाय सुझाना ;

(vii) खुली जेलों के काय की समीक्षा करना और उनमें सुधार के वास्ते उपाय सुझाना ;

(viii) कारावास की सजा में माफी देने, पेरोल और परिवीक्षा की प्रणाली की जांच-पड़ताल करना और इस दृष्टिकोण में एक-रूपता लाने तथा इनका मानकीकरण करने के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना ;

(ix) जेल शासन से संबंधित कोई अन्य मामला, जिस पर समिति विचार करना चाहे।

3. जब कभी आवश्यक हो, समिति को सदस्य सहयोजित करने की शक्ति होगी ।

4. समिति अपनी रिपोर्ट छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी और विशिष्ट विषयों पर अंतरिम रिपोर्टें तैयार होते ही प्रस्तुत करेगी । तिहाड़ जेल के संबंध में, समिति को अपनी सिफारिशें एक महीने के भीतर देनी होंगी ।

5. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

6. समिति अपने कार्यों के निष्पादन की अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करेगी । भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग समिति को ऐसी सूचना और दस्तावेज भेजेंगे और ऐसी सहायता उपलब्ध कराएंगे जिसकी उसे आवश्यकता हो । भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधित अन्य, समिति को अपना पूरा-पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

(i) समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण

(ii) संसदीय कार्य विभाग

(iii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग

(iv) सभी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीवल्लभ शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July, 1980

No. VI 14016/3/80-GPA. IV.—The question of effecting improvement in prison administration has been engaging the attention of the Government of India, Government of India have accordingly resolved to set up a Committee to enquire into the matter and to make necessary recommendations.

The Committee shall consist of :—

1. Justice A. N. Mulla (Retd.)	Chairman
2. Shri Yogendra Sharma, M.P.	Member
3. Smt. Saroj Kharpade, M.P.	Member
4. Dr. (Mrs.) M. Sarada Menon, former Director, Mental Hospital, Madras	Member
5. Shri C. S. Mallaiah, I.G. (Prisons), Karnataka	Member
6. Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs	Member

2. The following will be the terms of reference of the Committee :—

(i) to review the laws, rules and regulations governing the management of prisons and the treatment of prisoners and to make recommendations keeping in view the overall objective of protecting the society and rehabilitating the offenders;

(ii) to examine the living conditions of prisoners with specific reference to their basic needs and provision of facilities compatible with the dignity of human life and to suggest improvements as considered necessary;

(iii) to reappraise the policies governing the recruitment, training and development of prison personnel in relation to the objective of custody and correction and to find ways of ensuring that persons with requisite talent, aptitude and ability man the prison service;

(iv) to look into the procedure regarding the internal management of prisons with a view to raising the present level of prison security and institutional discipline and to suggest appropriate change;

(v) to review the programmes of institutional treatment, education, vocational training, industry, agriculture and such other occupational activities and to suggest measures with a view to develop prisons as correctional centres;

(vi) to suggest measures for the specialised treatment of women, adolescents, children and mentally sick persons;

(vii) to review the working of open-air prisons and to suggest measures for improvement;

(viii) to scrutinise the system of remission of prison sentence, parole and probation and to lay down guidelines for bringing about uniformity and standardisation in approach;

(ix) any other matter relating to prison administration that the Committee may like to consider.

3. The Committee will have power to co-opt members as and when necessary.

4. The Committee will submit its report within a period of six months and submit interim reports on specific subjects as and when these are ready. It shall make its recommendations with regard to Tihar Jail within a month.

5. The Headquarters of the Committee will be at Delhi.

6. The Committee will devise its own procedure in the discharge of its functions. All the Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and provide such assistance as may be required by the Committee. The Government of India trusts that the State Governments and Union Territory Administrations and others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Committee.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

(i) Chairman and Members of the Committee

(ii) Department of Parliamentary Affairs

(iii) All Ministries and Departments of the Government of India

(iv) All State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. V. SHARAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980